मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्
MADHYA PRADESH MEDICAL COUNCIL: BHOPAL

(Estb. on 1-4-1996 U\s 3 of the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam 1987)
(M. P. Act No. 11 of 1990)

Tele: (0755) 2767786
(0755) 2551568
Email: registrar.mpmc@mp.gov.in

F-7, Sanchi Complex,
Opp. Board Office,
Bhopal (MP) 462 016
Web:www.mpmedicalcouncil.net

क्रमांक एमपीएमसी / रजि / 2020 / 2121 भोपाल दिनांक 29.03.2020

/ /आदेश/ /

चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 11/CME/Misc/2020 दिनांक 29.03.2020 के संदर्भ में, चिकित्सा छात्रों का अन्तिम वर्ष का परिणाम घोषित होने के उपरांत तथा छात्रों के अपने मेडिकल कॉलेजों में पहुँचने में कठिनाई होने से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल द्वारा अन्तिम वर्ष उत्तीर्ण चिकित्सा छात्रों को उनके द्वारा इन्टनशिप किए जाने के उद्देश्य से उनका प्रोविजनल पंजीयन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप छात्रों को इन्टनशिप प्रारम्भ करने की अनुमति संबंधित अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय के द्वारा दे दी जायेगी ।

वर्तमान परिस्थितियों के सामान्य होने के उपरांत ऐसे समस्त चिकित्सा छात्रों द्वारा पूर्व में प्रचलित व्यवस्था अनुसार प्रोविजनल पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने होंगे, जिन्हें मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल द्वारा नियमानुसार मान्य किया जाकर पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा ।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा एवं पदेन अध्यक्ष
मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल द्वारा अनुमोदित

29/3/2020

(डा0 सुबोध मिश्रा)
रजिस्ट्रार
मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल,
भोपाल

पृ0क्रमांक एमपीएमसी / रजि / 2020 / 2122 भोपाल दिनांक 29.03.2020

प्रतिलिपि—

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।

29/3/2020

(डा0 सुबोध मिश्रा)
रजिस्ट्रार
मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल,